VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(18 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा
- दक्षिण-दक्षिण के सहयोग के रूप में भारत और अफ्रीका मिलकर खाद्य और सुरक्षा मुद्दों से निपटें
- 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' का उद्घाटन
- भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के 43 लाख से अधिक बच्चों के लिए मोटापा चिंता का विषय

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा:

संदर्भ:

- लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 17 सितम्बर को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि **सभी विपक्षी दलों ने 18 सितम्बर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की** है।

- समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि BJD और BRS समेत कई क्षेत्रीय दलों ने पांच दिवसीय सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया।

भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का इतिहास क्या रहा है?

- राजनीति में **महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा** है।
- महिला आरक्षण का **मुद्दा संविधान सभा की बहसों में भी उठा, लेकिन इसे अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया** गया। यह मान लिया गया था कि **लोकतंत्र सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।**
- उदाहरण के लिए, 1947 में, **प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे** ने कहा था, ***"हम हमेशा मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे, तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी होगी..."***। हालांकि, **बाद के दशकों में, यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं होना था।**
- परिणामस्वरूप, **महिला आरक्षण नीतिगत बहसों में एक बार-बार आने वाला विषय बन गया।**
- **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने 1988 में सिफारिश की कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद स्तर तक आरक्षण प्रदान किया** जाए।
- इन **सिफारिशों ने संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया**, जो सभी राज्य सरकारों को **पंचायती राज संस्थाओं में**

महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल** जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में **महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए** कानूनी प्रावधान किए हैं।

महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा क्या है?

- **स्थानीय निकायों के बाद अगला कदम संसद एवं विधानसभा में आरक्षण सुनिश्चित करना** था, लेकिन **यह एक कठिन लड़ाई रही** है।
- **महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव** है।
- इसे पहली बार **देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा सितंबर 1996 में 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया** गया था। लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया।
- **1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व** वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 12वीं लोकसभा में विधेयक को फिर से पेश किया। विधेयक को समर्थन नहीं मिला और यह फिर से निरस्त हो गया। विधेयक को 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था, लेकिन विधेयक बहुमत वोट प्राप्त करने में विफल रहा।

- 2008 में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और 9 मार्च, 2010 को इसे 186-1 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। हालांकि, विधेयक को लोकसभा में विचार के लिए कभी नहीं रखा गया और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया।
- 2014 में, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया था और 2019 के एजेंडे में भी इस वादे को दोहराया। लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई हलचल नहीं हुई है।

महिला आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है क्योंकि राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक हैं।
- राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की आशाओं के बावजूद, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।
- समर्थकों का मानना है कि आरक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए संसद में एक मजबूत लॉबी बनाएंगी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज

कर दिया जाता है। अब इस बात के सबूत हैं कि **पंचायत नेताओं के रूप में महिलाओं ने सामाजिक मिथकों को तोड़ा है, पुरुषों की तुलना में अधिक सुलभ हैं,** शराब की पकड़ को नियंत्रित किया है, पीने के पानी जैसी सार्वजनिक वस्तुओं में पर्याप्त निवेश किया है, अन्य महिलाओं को खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद की है, **भ्रष्टाचार कम किया है, पोषण परिणामों को प्राथमिकता दी है और जमीनी स्तर पर विकास के एजेंडे को बदल** दिया।

- आज, **भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का प्रतिशत उच्च है, कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी, कम पोषण स्तर और विषम लिंग अनुपात** है। यह तर्क दिया जाता है कि **इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें निर्णय लेने में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है।**
- ऐसे समर्थकों का तर्क है कि **चर्चा केवल एक विधेयक के बारे में नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति में शक्तिशाली, मजबूत हितों को बदलने के बारे में** है।

महिला आरक्षण के विरोध में क्या तर्क हैं?

- महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोधियों का तर्क है कि **यह विचार संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत** है। उनका कहना है कि **आरक्षण होने पर**

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, **जिससे समाज में उनका दर्जा कम हो सकता है।**

- **महिलाएँ एक जाति समूह से भिन्न हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक समरूप समुदाय नहीं हैं।** इसलिए, **जाति-आधारित आरक्षण के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, वे महिलाओं के लिए नहीं दिए जा** सकते। महिलाओं के हितों को अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों से अलग नहीं किया जा सकता।
- कुछ लोगों का तर्क है कि **संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देगा।**
- इससे **राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण सहित दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों** (जहां निर्वाचन क्षेत्रों में दो सांसद होंगे, उनमें से एक महिला होगी) **वैकल्पिक तरीकों के सुझाव सामने आए** हैं।
- लेकिन कुछ पार्टियों ने बताया है कि **ये भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टियां अजेय सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती** हैं, या महिलाएं **चुनाव लड़ सकती हैं लेकिन सत्ता में नहीं आ सकती हैं, या उन्हें गौण भूमिका में धकेल दिया जा सकता** है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संसद में कितनी महिलाएं हैं?

- **09 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में** कानून और न्याय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, **भारतीय संसद में लगभग 14% (लोकसभा: 14.94% और राज्यसभा: 14.05%) सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक का उच्चतम है।**
- अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, **भारत के निचले सदन में महिलाओं का प्रतिशत नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में कम है** - जो एक निराशाजनक रिकॉर्ड है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

दक्षिण-दक्षिण के सहयोग के रूप में भारत और अफ्रीका मिलकर खाद्य और सुरक्षा मुद्दों से निपटें:

संदर्भ:

- भारत की **G20 अध्यक्षता को विकसित देशों की मानसिकता को नया आकार देने और वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से अफ्रीका की आकांक्षाओं को मुख्यधारा में एकीकृत करने** में एक उत्प्रेरक के रूप में याद किया जाएगा।

- **G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करके** भारत का मास्टरस्ट्रोक, **वैश्विक विकास और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अफ्रीका के महत्व और क्षमता को स्वीकार करता** है।

भारत एवं अफ्रीका के समक्ष उपस्थित साझा चुनौतियां:

- नए G20 (अफ्रीकी संघ के साथ) में **अब दुनिया की 84 प्रतिशत आबादी शामिल है, जो पहले लगभग 66 प्रतिशत थी।**
- **भारत और अफ्रीका, जो वैश्विक आबादी का 36 प्रतिशत हिस्सा हैं,** दुर्भाग्य से, **2020-22 में दुनिया के लगभग 69.4 प्रतिशत (50.3 करोड़) कुपोषित लोगों का घर हैं।**
- इन क्षेत्रों में **दुनिया के पांच साल से कम उम्र के 67.0 प्रतिशत और 75.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और बौनेपन की समस्या से पीड़ित** हैं।

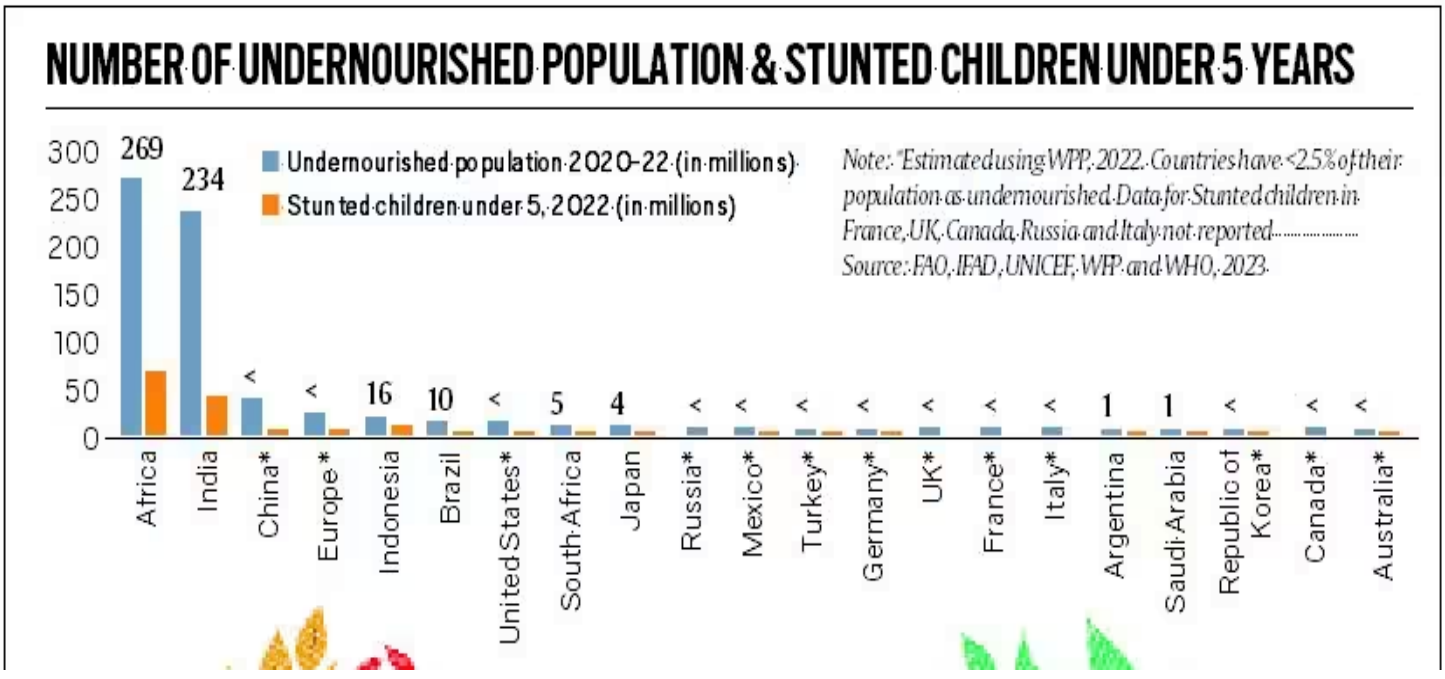

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जलवायु परिवर्तन की स्थिति में ग्लोबल साउथ दुनिया को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर कैसे ले जा सकता है?

- **कृषि व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ खुली रखना:**
  - ➢ **कृषि व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को खुला रखना समय की मांग** है।
  - ➢ इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि **पिछले तीन वर्षों में भारत ने दुनिया को 85 मिलियन टन अनाज का निर्यात किया**, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान मिला।
- **विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति के लिए 100 अरब डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए:**
  - ➢ यह प्रतिबद्धता **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर जलवायु शमन और अनुकूलन प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगी**।
  - ➢ इसके बाद, **विश्व बैंक गरीबी उन्मूलन, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुकूलन और शमन नीतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की** वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए **निजी क्षेत्र से भी धन जुटाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है।**

➢ G20 का अनुमान है कि **कम आय वाले देशों के लिए ऋण राहत सहित इन मुद्दों के समाधान के लिए 2030 तक सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश** की आवश्यकता होगी।

- **दक्षिण-दक्षिण से सीखने के लिए भारत और अफ्रीका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण:**

➢ अफ्रीका के G20 में शामिल होने के साथ, **तेजी से जनसंख्या वृद्धि, लगातार गरीबी और व्यापक अल्पपोषण से उत्पन्न चुनौतियाँ और अधिक गंभीर हो गई हैं।**

➢ **भारत और अफ्रीका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों की खोज में दक्षिण-दक्षिण सीख और सहयोग** को बढ़ावा दे सकता है।

➢ इसके अलावा, **दोनों क्षेत्रों में असामान्य रूप से उच्च पोषण संबंधी असुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि नीतियों को अधिक पोषण-संवेदनशील बनाने की आवश्यकता** है।

➢ **मुख्य फसलों के बायो-फोर्टिफिकेशन** को बढ़ाना, एक नवीन और लागत प्रभावी तकनीक, **भारत और अफ्रीका में दीर्घकालिक कुपोषण** से प्रभावित क्षेत्रों में

पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि **बायोफोर्टिफिकेशन खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया** है। इसे **कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक प्रजनन या आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जीनोम संपादन** जैसे जैव प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

➢ **यदि भूख और कुपोषण को खत्म करने के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को 2030 तक** हासिल करना है **तो युद्ध स्तर पर कुपोषण को कम करने के लिए भारतीय राज्यों और अफ्रीकी देशों में इस तरह के नवाचारों को बड़े पैमाने** पर लागू किया जा सकता है।

- **महिलाओं की उच्च शिक्षा एवं पोषण पर बल:**

➢ **अकेले पौष्टिक भोजन तक पहुंच** इन क्षेत्रों में **अल्पपोषण की बहुआयामी समस्या का समाधान नहीं कर सकती** है। उन्हें पोषण सुरक्षा में तेजी लाने के लिए **लक्षित और बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता** है।

➢ अनुभवजन्य विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि **माताओं की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा** (12 या अधिक वर्ष), और **सामान्य बॉडी मास इंडेक्स**

(बीएमआई) वाली माताओं का बच्चों में कुपोषण को कम करने के साथ एक मजबूत संबंध है। बॉडी मास इंडेक्स किसी व्यक्ति के द्रव्यमान और ऊंचाई से प्राप्त मूल्य है।

- **शिक्षित महिलाएं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में अधिक जानकारी रखती** हैं, शादी में देरी करती हैं और कम बच्चे पैदा करती हैं और स्वस्थ बच्चे पैदा करती हैं।
- इसलिए, **राज्य सरकारों को लड़कियों के लिए उदार छात्रवृत्ति के माध्यम से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता** है। इससे माध्यमिक और उच्च शिक्षा में **महिलाओं के बीच ड्रॉपआउट दर में नाटकीय रूप** से कमी आ सकती है। **महिला श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने** और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की उच्च शिक्षा में निवेश आवश्यक है।
- ग्लोबल साउथ सहयोग में क्रॉस-लर्निंग के लिए **इन निष्कर्षों को अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक रूप से साझा करने की आवश्यकता** है।

- **स्वच्छता पहल:**
  - ➢ WASH पहल में **निवेश पोषण संबंधी परिणामों पर कई गुना प्रभाव ला सकता** है।
  - ➢ **स्वच्छ भारत अभियान के तहत** भारत ने 2015-16 और 2019-21 के बीच **बेहतर स्वच्छता सुविधाओं वाले घरों का कवरेज 48.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया** है।
  - ➢ जिस योजना का लक्ष्य खुले में शौच को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना था, **उसके कई गुणित प्रभाव** हैं।
  - ➢ **कुपोषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह भारत और अफ्रीका के बीच सीखने का एक और क्षेत्र** हो सकता है।

निष्कर्ष:

- G20 (अब G21) में अफ्रीकी संघ को शामिल करना भारत की G20 अध्यक्षता की पहचान है। लेकिन इसका **अर्थ तभी होगा जब भारत और अफ्रीका जलवायु परिवर्तन की स्थिति में अपनी खाद्य और पोषण सुरक्षा से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें**। यह **चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विज्ञान और खुली व्यापार नीतियों के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता** है।

'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' का उद्घाटन:

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **17 सितंबर 2023 को कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए उनके लिए ₹13,000 करोड़ लागत की 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' शुरू** की गई है। इस योजना के द्वारा **शिल्पकारों को आधुनिक बाजार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी से लैस किया** जाएगा।

'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' क्या है?

- विश्वकर्मा योजना का **उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना** है।

- यह **योजना 2023-24 से 2027-28 तक पांच वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी।**
- इस योजना को **13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**

भगवान विश्वकर्मा कौन थे?

- हिंदू पौराणिक कथाओं में, **विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है और वह दिव्य बढ़ई और मास्टर शिल्पकार थे** जिन्होंने देवताओं के हथियार बनाए और उनके शहरों और रथों का निर्माण किया।
- उन्हें **श्रमिकों, कारीगरों और कलाकारों का संरक्षक देवता माना जाता** है।

विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है?

- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत **18 पारंपरिक शिल्पकार शामिल होंगे**: बढ़ई; नाव बनाने वाला; शस्त्रागार; लोहार; हथौड़ा और टूल किट निर्माता; ताला बनाने वाला; सुनार; कुम्हार; मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला; मोची (जूता/जूता कारीगर); राजमिस्त्री (राजमिस्त्री); टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); नाई; माला बनाने वाला; धोबी; दर्जी; और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कैसे लाभ उठाया जा सकता है?

- इस **योजना के तहत, व्यक्तियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से कौशल उन्नयन प्राप्त होगा।**
- यह योजना **₹1 लाख** (पहली किश्त 18 महीने में चुकानी होगी) और **₹2 लाख** (दूसरी किश्त 30 महीने में चुकानी होगी) के **कोलेटरल-मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किया जायेगा।**
- **लाभार्थी से 5% की रियायती ब्याज दर ली जाएगी,** जिसमें **सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 8% की ब्याज छूट सीमा का भुगतान किया** जाएगा। **क्रेडिट गारंटी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।**
- योजना के तहत, **बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा श्रमिकों को मुफ्त में पंजीकृत** किया जाएगा।
- फिर उन्हें **पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन।**

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के 43 लाख से अधिक बच्चों के लिए मोटापा चिंता का विषय:

मामला क्या है?

- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, **पिछले महीने 0-5 आयु वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चों की पहचान मोटापे या अधिक वजन के रूप** में की गई, जो देश भर के **आंगनबाड़ी केंद्रों में सर्वेक्षण किए गए कुल बच्चों का लगभग 6%** है।

- सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से एकत्र किए गए इन आंकड़ों से यह भी पता चला है कि **मोटे या अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत आंगनबाड़ियों में पाए जाने वाले गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों के समान ही था, जो कि 6%** है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **बच्चों के विकास की निगरानी करने वाले ऐप 'पोषण ट्रैकर' से जुटाए गए आंकड़ों** से पता चलता है कि **0-5 वर्ष की आयु वर्ग में "मापे गए" 7,24,56,458 बच्चों में से लगभग 6% या 43,47,387 बच्चों को मोटापे या अधिक वजन** के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- इसमें पाया गया कि **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल** सहित तेरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोटापे की दर **राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक** है।
- **हाल के वर्षों में बचपन के मोटापे में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।** NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019- 21) के आंकड़ों के अनुसार, **NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 में अधिक वजन वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई** है।

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा अध्ययन के निष्कर्ष:

- वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित **एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि बचपन का मोटापा दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय है, और भारत कोई अपवाद नहीं** है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि **यदि तुरंत**

समाधान नहीं किया गया, तो भारत में बचपन के मोटापे में 2035 तक 9.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी जा सकती है।

- अध्ययन में बताया गया है कि **भारत में लड़कों के लिए** मोटापे का खतरा 2020 में 3% से बढ़कर अगले **12 वर्षों में 12% हो सकता** है। **लड़कियों के लिए**, जोखिम, जो 2020 में 2% था, **उसी अवधि में बढ़कर 7% हो सकता** है।

बच्चों के मोटापे से जुड़ी गंभीर चिंता:

- यदि इस समस्या से बेहतर ढंग से निपटा नहीं जा सका या प्रबंधित नहीं किया जा सका तो **मोटे बच्चों को टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्लीप एपनिया सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने का खतरा बढ़ जाता** है। इन स्थितियों का **बच्चे के जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा पर तत्काल और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते** हैं।
- **बचपन का मोटापा अक्सर वयस्कता तक बना रहता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों और शीघ्र मृत्यु दर का खतरा** बढ़ जाता है।
- **वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के अध्ययन ने बताया गया** है कि मोटापे को संबोधित करने और प्रबंधित करने में निरंतर विफलता के परिणामस्वरूप **2035 तक 4.32**

ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% के बराबर है।

- इसी रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि **भारत की राष्ट्रीय जीडीपी पर संभावित प्रभाव 1.8% के करीब होगा।**

भारत में बढ़ते बचपन के मोटापे में योगदान देने वाले प्रमुख कारक:

- इनमें कारणों में **असंतुलित आहार की ओर बदलाव, अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत और एक गतिहीन जीवन शैली शामिल है जो अतिरिक्त कैलोरी जलाने को सीमित करती** है।
- उल्लेखनीय है कि **बाजार में बिकने वाले स्नैक्स की खरीदारी बच्चों की प्राथमिकताओं से तेजी से प्रभावित हो रही है, जिससे वे फास्ट फूड और मीठे पेय पदार्थों** का सेवन करने लगते हैं, जिससे खाली कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है, जिसे उनकी गतिहीन जीवनशैली उन्हें जलाने नहीं देती है।
- वहीं **गरीबों के आहार से सूक्ष्म पोषक तत्व गायब हो रहे हैं क्योंकि गांवों में पारंपरिक किचन गार्डन की जगह नकदी फसलों ने ले ली है।** कई **कम आय वाले परिवारों के लिए पौष्टिक सब्जियों, फलों और प्रोटीन स्रोतों की लागत वहन करने योग्य नहीं रह** गई है।

बच्चों के मोटापे से जुड़ी इस समस्या से कैसे निपटें?

- बच्चों में अन्य **व्यवहार संबंधी मुद्दों की तरह, बचपन के मोटापे का समाधान उचित पालन-पोषण से शुरू होना चाहिए।** संतुलित आहार के बारे में माता-पिता के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- **शहरी क्षेत्रों में, बच्चे अक्सर कम से कम ताज़ी सब्जियां और फल खाते हैं,** और कामकाजी माता-पिता अपनी अनुपस्थिति के बदले में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जंक फूड की पेशकश का सहारा लेते रहें हैं, इस प्रवृत्ति को बदलना ही होगा। उल्लेखनीय है कि यह प्रवृत्ति केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी देखी जा सकती है जहां माता-पिता दोनों कार्य कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त **माता-पिता को इस समस्या के प्रति जागरूक करके इस समस्या से निपटने का प्रयास करना होगा।**

'पोषण ट्रैकर' ऐप:

- 'पोषण ट्रैकर' **एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,** भारत सरकार द्वारा **1 मार्च 2021 को** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) के माध्यम से शुरू किया गया है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ **बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन की व्यापकता की गतिशील पहचान और पोषण सेवा वितरण की अंतिम मील ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा** है।
- यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों के प्रतिबिंब के **साथ-साथ सेवाओं के कुशल वितरण के लिए सहायता करता** है।
- यह पोषण अभियान के तहत **महत्वपूर्ण और लाभार्थी-केंद्रित सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।**
- यह **विश्लेषण के साथ वास्तविक समय डेटा को बढ़ावा देता** है।